**प्रश्न-1.संविधान में निहित 'समानता का अधिकार' एवं 'धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार' दोनों मौलिक अधिकार हैं, परंतु कई धार्मिक स्थानों पर महिलाओं के प्रवेश पर विवाद ने दोनों अधिकारों को एक द्वंद्व के रूप में खड़ा कर दिया है। टिप्पणी कीजिए। (150 शब्द,10 अंक)**

**Right to equality and freedom of religion both mentioned in the constitution are fundamental rights but the dispute over the entry of women at several religious places has brought both the rights to a point of conflict. Comment**

**(150 Words, 10 Marks)**

## मॉडल उत्तर

- भूमिका में वर्तमान उदाहरणों के माध्यम से समानता के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बीच द्वन्द्व को स्पष्ट करें।
- अगले पैरा में इसका संक्षिप्त में विश्लेषण कीजिये।
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

भारतीय संविधान में व्यक्ति के विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक व आध्यात्मिक) के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 'भारत को मैग्नाकार्टा' के रूप में मौलिक अधिकारों की एक लंबी श्रृंखला प्रस्तुत की गई है।

परन्तु हाल ही में सबरीमाला मंदिर प्रवेश निषेध, हाजी अली दरगाह व अन्य धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश संबंधी विवाद में समानता के अधिकार (अनुच्छेद-14-18) व धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 25-28) में एक द्वन्द्व की स्थिति उभरी है। इस द्वंद्वात्मक स्थिति में दोनों अधिकारों की पूरकता पर विभिन्न तर्क उभरकर सामने आये हैं।

- अनुच्छेद 25(1) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को अंत:करण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। यह अधिकार समानता के अधिकार से पूरकता रखता है।
- अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार

  अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं, बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों नागरिकों एवं गैर-नागरिकों सबके लिए उपलब्ध है।
- महिलाओं के प्रवेश की परंपरा के आधार पर सही ठहराने वाले त्रावणकोर बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट के धर्म संबंधी संवैधानिक अवधारणा पर खरा उतरना होगा। इसके अनुसार कोई भी धार्मिक क्रिया तभी संवैधानिक है, जब वह उस धर्म का आवश्यक व अभिन्न अंग हो।
- संविधान के अनुसार धर्म के अधिकार व्यक्ति को राज्य के ऊपर मिलते हैं, न कि किसी प्राइवेट या कॉर्पोरेट संस्था के विरूद्ध। वहीं इस पर तर्क त्रावणकोर बोर्ड के प्राइवेट संस्था होने का है।

**अंत में संक्षिप्त, संतुलित व सारगर्भित निष्कर्ष दें।**

**नोट:**- प्रश्नानुसार उत्तर के सभी बिन्दुओं को समाहित किया गया है, निर्धारित शब्द सीमा में व्यवस्थित कर विश्लेषण कर सकते है।